मेरठ विकास प्राधिकरण

की

७६वीं बोर्ड बैठक
दिनांक २६.०६.२००६

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की 76वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29–06–06 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 76वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29–06–06 को शिविर कार्यालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 12.00 बजे प्रारम्भ हुई । सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया । बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थेः–

1–	श्री देवदत्त। आयुक्त। मेरठ मण्डल मेरठ।	अध्यक्ष
2–	श्री यू0ए0ठाकुर उपाध्यक्ष, मे0वि0प्रा0,मेरठ।	उपाध्यक्ष,
3–	श्री मुकेश कुमार मेश्राम, जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4–	श्री आई0एस0के0 सिंह, सहायक नगर आयुक्त, (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त,मेरठ)	सदस्य
5–	श्री के0एम0लाल, उप निदेशक,उद्योग मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।	सदस्य
6–	श्री कृपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य
7–	श्री ज्ञानसिंह, अपर निदेशक–कोषागार एवं पेंशन, मेरठ।	सदस्य
8–	श्री के0जी0 पुरी, उप महाप्रबन्धक (नगरीय) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, मेरठ।	सदस्य
9–	श्री आर0के0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।	सदस्य

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

11/7/06
सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

10– श्री ए0के0 त्यागी — सदस्य
सहायक नियोजक
(प्रतिनिधि–आयुक्त एन0सी0आर0)
गाजियाबाद।

11– श्री राजपाल कौशिक, — सदस्य
सहयुक्त नियोजक
(प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग
उत्तर प्रदेश)

12. श्री राजकुमार यादव — सदस्य
शासन द्वारा नामित।

13– श्री श्रीनिवास जोगी — सदस्य
शासन द्वारा नामित।

14– श्री सतीश कुमार — संयोजक
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

11/7/08
सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद सं0 –1

प्राधिकरण की 75 वीं0 बोर्ड बैठक दिनांक 24.03.06 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.03.06 के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

मद सं0–2

प्राधिकरण की 75 वीं0 बोर्ड बैठक में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।

प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.03.2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये।

मद सं0–3

प्राधिकरण का वर्ष 2005–2006 का वास्तविक एवं वर्ष 2006–2007 का प्रस्तावित आय व्ययक (बजट)

बजट पर विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि सामान्यतया आडिट आपत्तियों के निराकरण की ओर प्रर्याप्त ध्याान नहीं दिया जाता है। अतः निर्देश दिये गये कि बोर्ड की प्रत्येक त्रेमासिक बैठक में आडिट आपत्तियों सम्बन्धी आख्या अवश्य प्रस्तुत की जाये जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो कि विभिन्न आडिट इकाईयों की कितनी–2 आपत्तियों का निराकरण हो चुका है और कितनी लम्बित है। तथा प्राधिकरण के लेखानुभाग को एक माह के अन्दर पूर्णतया कम्प्यूटराईज करने के निर्देश दिये।

मद सं0–4

शताब्दी नगर आवासीय योजना हेतु सीवेज ट्रीटमैन्ट प्लान्ट के निर्माण का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति व्यक्त की गयी। मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि तकनीकी विशेषज्ञ की राय लेकर सीवेज ट्रीटमैन्ट प्लान्ट के निर्माण में सही तकनीक का प्रयोग किया जाये। तकनीक का प्रस्तुतीकरण भी बोर्ड के समक्ष किया जाये। बोर्ड ने साथ भी निर्देश दिये कि प्लान्ट का निर्माण विभिन्न चरणों में किया

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

जाये और प्लान्ट के निर्माण के लिये कोई ऋण न लिया जाये। बल्कि जितना व्यय प्लान्ट के निर्माण पर होता जाये उसे आवासीय योजना के विकास कार्यो पर भारित किया जाता रहें। मा0 बोर्ड ने विचार व्यक्त किया कि प्रारम्भ में केवल एक ही प्लान्ट का निर्माण प्रारम्भ किया जाये।

मद सं0–5

गंगा नगर एवं रक्षापुरम आवासीय योजना हेतु सीवेज ट्रीटमैन्ट प्लान्ट के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव।

मद सं0–4 के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाये।

मद सं0–6

मैसर्स भारत इन्जीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स हरि नगर मेरठ की रिक्त भूमि खसरा सं0 558 को समायोजन करने सम्बन्धी प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोर्ड के मा0 सदस्य श्री राजकुमार यादव ने विचार व्यक्त किया कि पूर्व बैठको में निर्णय लिया गया है कि भूमि को अर्जन मुक्त करने अथवा समायोजित करने की शासन की कोई नीति नहीं है। अतः प्रस्ताव निरस्त करने योग्य है। बोर्ड के अन्य सदस्यों ने उक्त विचार से सहमति व्यक्त की और कहा कि इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा जो निर्णय पूर्व में लिये गये है उनकी पुनः पुष्टि की जाती है। अतः प्रस्ताव निरस्त किया गया एवं निर्देश दिये गये कि पूरे प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

मद सं0–7

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं के परिपेक्ष्य में वर्ष 2005–06 में प्राधिकरण की योजनाओं में वृक्षारोपण किये जाने के सम्बन्ध मे।

उक्त प्रकरण में बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा वृक्षारोपण सम्बन्धी पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा यह असन्तोष व्यक्त किया कि प्रकरण में बिल एवं बाउचर प्रस्तुत करने सम्बन्धी पूर्व आयुक्त महोदय के निर्देशो का पालन नहीं किया गया है तथा आदेश दिये गये कि सम्बन्धित बिल एवं वाउचर आदि की पत्रावली भी प्रस्तुत की जाये। प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय

अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

1/1/06
सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

योजनाओं में रोपित वृक्षो की जांच की जाये कि वर्षवार प्रत्येक योजना में कुल कितने वृक्ष रोपित किये गये तथा उनमें से कितने जीवित है तथा कितने अजीवित। इस जांच हेतु मा0 बोर्ड द्वारा एक तीन सदस्य जांच समिति का गठन किया गया जो निम्नवत् है :-

1- वित्त नियन्त्रक,
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ। सदस्य

2- श्री ए0के0 त्यागी
सहायक नियोजक
(प्रतिनिधि--आयुक्त एन0सी0आर0) सदस्य

3- वन संरक्षक के (राजपत्रित अधिकारी) प्रतिनिधि सदस्य

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह आदेश दिये गये कि जांच आख्या 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाये।

मद सं0-8

कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता रूपये 20/- के स्थान पर रू0 150/- प्रतिमाह दिये जाने विषयक प्रस्ताव।

बोर्ड बैठक द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0-9

प्राधिकरण में कार्यरत वेतनमान कर्मचारियों को भवन किराया भत्ता/नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने के प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर मा0 बोर्ड द्वारा चर्चा की गई। मा0 सदस्य श्री श्रीनिवास जोगी ने विचार व्यक्त किया कि वेतनमान कर्मचारी, जिनकी लगभग 18-19 वर्षो की सेवाये हो चुकी है तथा जिनके द्वारा नियमित कर्मचारियों की तरह ही कार्य किया जा रहा है, को भी भवन किराया भत्ता/नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाये। मा0 सदस्य श्री राजकुमार यादव ने कहा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जहां पर यह सुविधा दी जा रही है, लाभ की स्थिति में है जबकि मेरठ विकास प्राधिकरण घाटे में चल रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि गणना करके मालूम कर लिया जाये कि इसमें प्राधिकरण पर कितना वित्तीय

अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

1/1/06
सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

जाये और प्लान्ट के निर्माण के लिये कोई ऋण न लिया जाये। बल्कि जितना व्यय प्लान्ट के निर्माण पर होता जाये उसे आवासीय योजना के विकास कार्यो पर भारित किया जाता रहें। मा0 बोर्ड ने विचार व्यक्त किया कि प्रारम्भ में केवल एक ही प्लान्ट का निर्माण प्रारम्भ किया जाये।

मद सं0–5

गंगा नगर एवं रक्षापुरम आवासीय योजना हेतु सीवेज ट्रीटमैन्ट प्लान्ट के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव।

मद सं0–4 के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाये।

मद सं0–6

मैसर्स भारत इन्जीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स हरि नगर मेरठ की रिक्त भूमि खसरा सं0 558 को समायोजन करने सम्बन्धी प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोर्ड के मा0 सदस्य श्री राजकुमार यादव ने विचार व्यक्त किया कि पूर्व बैठको में निर्णय लिया गया है कि भूमि को अर्जन मुक्त करने अथवा समायोजित करने की शासन की कोई नीति नहीं है। अतः प्रस्ताव निरस्त करने योग्य है। बोर्ड के अन्य सदस्यों ने उक्त विचार से सहमति व्यक्त की और कहा कि इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा जो निर्णय पूर्व में लिये गये है उनकी पुनः पुष्टि की जाती है। अतः प्रस्ताव निरस्त किया गया एवं निर्देश दिये गये कि पूरे प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

मद सं0–7

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं के परिपेक्ष्य में वर्ष 2005–06 में प्राधिकरण की योजनाओं में वृक्षारोपण किये जाने के सम्बन्ध मे।

उक्त प्रकरण में बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा वृक्षारोपण सम्बन्धी पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा यह असन्तोष व्यक्त किया कि प्रकरण में बिल एवं बाउचर प्रस्तुत करने सम्बन्धी पूर्व आयुक्त महोदय के निर्देशो का पालन नहीं किया गया है तथा आदेश दिये गये कि सम्बन्धित बिल एवं वाउचर आदि की पत्रावली भी प्रस्तुत की जाये। प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

1/1/06
सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

भार पड़ेगा तथा यह भी निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में अन्य प्राधिकरणों से भी जानकारी प्राप्त कर ली जाये और समस्त सूचनाओं सहित प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखा जाये।

मद सं0–10

उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लि0 की मेरठ स्थित कताई मिल की भूमि को निर्धारित सर्किल रेट पर क्रय किये जाने के सम्बन्ध मे।

प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस भूमि के भू–उपयोग, जो कि औद्योगिक बताया गया है को बदलने की आवश्यकता नहीं है। हवाई पट्टी के निकट स्थित होने के कारण यह भूमि अत्यन्त उपयोगी है। भूमि के कुल क्षेत्रफल (लगभग 90 एकड़) मे से 2 से 5 एकड़ के चार–पांच भूखण्ड आवश्यकतानुसार होटल निर्माण हेतु आरक्षित किये जा सकते है जिससे की शासन की नीति के अनुसार होटल व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जा सके। शेष भूमि में दो विशेष आर्थिक जोन (SEZ) आई.टी एवम् ज्वैलरी तथा जैम इन्डस्ट्री (प्रत्येक 25–25 एकड़) को स्थापित किया जा सकता है।

मद सं0–11

ग्राम रामपुर पावटी के खसरा सं0 422 पार्ट व 423 पार्ट मेरठ बागपत मार्ग पर हरित पट्टी भू–उपयोग क्षेत्र में पैट्रोल पम्प के निर्माण की स्वीकृति।

प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण मा0 बोर्ड द्वारा वापस लिये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

मद सं0–12

मेरठ हापुड़ महायोजना मार्ग पर हरित पट्टी भू–उपयोग क्षेत्र में पैट्रोल पम्प के निर्माण की स्वीकृति।

प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण मा0 बोर्ड द्वारा वापस लिये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद सं0–13

विकास प्राधिकरण की योजनाओं के निकट पैरिफेरियल डवलपमेन्ट/वाह्य विकास शुल्क तथा मेरठ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में वाह्य विकास शुल्क के सम्बन्ध मे।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा की गई और मा0 बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में जिलाध्यक्ष समाजवदी पार्टी तथा रियल एस्टेट डवलपर्स एसोसियेशन एवं मा0 सांसद श्री मुन्नवर हुसैन द्वारा दिये गये ज्ञापनो के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

मद सं0–14

प्राधिकरण के गठन वर्ष 1976 से अब तक अधीगृहीत भूमि की अध्यावधिक स्थिति।

प्राधिकरण के गठन वर्ष 1976 से अब तक अधीगृहीत भूमि की अध्यावधिक स्थिति का मा0 बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि नगर निगम, ग्राम सभा, सिचाई विभाग एवं सीलिंग की भूमि का भी योजनावार विवरण प्रस्तुत किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि जिन काश्तकारो को प्रतिकर/अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि का वितरण अवशेष है उन काश्तकारो को शीघ्रताशीघ्र भुगतान किया जाये, जिससे कि काश्तकारो में प्राधिकरण के प्रति विश्वास की भावना पैदा हो तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके। उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा काश्तकारो को प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर धनराशि का सीधा भुगतान करने हेतु अनुमति मांगी जाने पर निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।

मा0 अध्यक्ष ने यह भी जानना चाहा कि अधिग्रहीत भूमि के किस–2 हिस्से पर प्राधिकरण के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किये हुए है। यह स्थगन आदेश कब–कब से प्रभावी है और आदेशो को निरस्त करने हेतु क्या प्रयास किये गये है। यह भी देखा जाये कि विपक्षीगण द्वारा भी इन स्थगन आदेशो का पालन किया जा रहा है या नहीं ।

मा0 अध्यक्ष महोदय ने यह भी जानना चाहा कि किन–2 योजनाओं में कितनी भूमि अर्जित की गयी है और अभी तक कितनी भूमि के ले–आउट तैयार किये गये है और ले–आउट तैयार भूमि में से कितनी भूमि निस्तरित की जा चुकी है तथा कितनी निस्तारण हेतु अवशेष है। अवशेष भूमि की शीघ्रताशीघ्र प्लानिंग की जाये। प्रत्येक योजना में अधिग्रहीत की गयी समस्त भूमि का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

11/7/06
सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

यह भी निर्देश दिये गये कि धारा–4 एवं 6 के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रफल एवं अभिनिर्णय घोषित भूमि के क्षेत्रफल में काफी अन्तर है। अतः योजनावार एवं खसरावार यह समीक्षा की जानी आवश्यक है कि शेष भूमि को अभिनिर्णय में शामिल क्यों नहीं किया गया।

कब्जा प्राप्त करने हेतु अवशेष भूमि के सम्बन्ध में भी असन्तोष व्यक्त किया गया। सचिव, मे0वि0प्रा0 को निर्देश दिये गये कि भूमि अध्याप्ति कार्यालय से सम्पर्क कर एक माह में प्रत्येक योजना में अवशेष भूमि का कब्जा प्राप्त करें तथा अनुपालन आख्या आगामी बोर्ड में प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश दिये कि अवैध कब्जो के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाये तथा योजनावार कार्यक्रम निर्धारित कर भूमि को अवैध कब्जो से मुक्त कराया जाये तथा अनुपालन आख्या आगामी बोर्ड बैठक में रखे।

मा0 अध्यक्ष ने जिला प्रशासन से प्रबन्धन/रखरखाव हेतु प्राप्त ग्रामीण सीलिंग/शहरी सीलिंग की भूमि का ब्यौरा प्रस्तुत किये जाने और स्थल निरीक्षण कराकर उक्त भूमि की गाटावार भौतिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। सीलिंग भूमि की सुरक्षा हेतु काटेदार तार लगाये जाने तथा प्रत्येक कब्जा प्राप्त भूमि पर प्राधिकरण के बोर्ड लगाये जावें।

उपाध्यक्ष

1/7/06

सचिव

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ

अनुपूरक प्रस्ताव।

अनुपूरक मद सं0 1

नई पर्यटन नीति सम्बन्धित शासनादेश संख्या 984/41–06–180/2006 पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 22 मई, 2006 को प्राधिकरण में अंगीकृत करने के सम्बन्ध मे।

मा0 बोर्ड द्वारा जारी उक्त शासनादेश को अंगीकृत किया गया एवम् निर्देश दिये गये कि होटल व्यवसाय हेतु भूमि का चिन्हीकरण कर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

अनुपूरक मद सं0–2

प्राधिकरण की योजनाओं में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद को प्राथमिक पाठशाला के लिये निःशुल्क भूमि दिये जाने के सम्बन्ध मे।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक आवासीय योजना में पुलिस थाना/चौकी, अग्निशमन विभाग एवं पोस्ट आफिस के लिए भी निःशुल्क भूमि का प्राविधान किया जाये तथा पुलिस विभाग से अनुरोध किया जाये कि पुलिस थाना/चौकी का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर वहां पर आवश्यक स्टाफ शीघ्र तैनात कर दिया जाये ताकि आवंटियों में सुरक्षा की भावना पैदा हो सके। इसी प्रकार का अनुरोध अग्निशमन विभाग तथा डाक विभाग से भी किया जाये। सरकारी अस्पताल एवं विद्युत सबस्टेशन के लिए भूमि का प्राविधान करने के भी निर्देश दिये गये।

अनुपूरक मद सं0–3

प्राधिकरण की योजनाओं में ग्रुप हाउसिंग के लिये भूखण्डो का आरक्षण।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि इसी प्रकार बिल्डर्स के लिए, सहकारी आवास समितियों के लिए एवं सीनियर सीटिजन के लिए भी भूमि आरक्षित की जाये। इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

11/7/06

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

अनुपूरक मद सं0–4

नेशनल बिल्डिंग कोड में सुरक्षित निर्माण सम्बन्धी नये प्राविधानों को प्राधिकरण की भवन उप–विधियों में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद सं0–5

प्राधिकरण की समस्त आवासीय योजनाओं में अनुरक्षण शुल्क समय से न जमा करने पर दण्ड ब्याज न लगाने हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि यह सुविधा केवल 30.09.2006 तक दी जाये। इसके बाद कोई समयवृद्धि न दी जाये।

अनुपूरक मद सं0–6

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, वाहन चालक को दिल का दौरा पड़ने के कारण हार्ट सर्जरी पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के समबन्ध में प्रस्ताव।

प्रस्ताव मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

1/7/06

सचिव

मेरठ विकास प्राधिकरण

अनुपूरक मद सं0–7

मेरठ विकास प्राधिकरण की वेद व्यासपुरी योजना के अन्तर्गत सी0आर0पी0एफ0 बटालियन की स्थापना हेतु आंवटित 25 एकड़ भूमि पर कब्जा हस्तगत करते समय देय लीजरैन्ट की धनराशि विभाग द्वारा अदा न कर पाने के फलस्वरूप, देय ब्याज की धनराशि की मुक्ति विषयक प्रस्ताव।

प्रस्ताव मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद सं0–8

प्राधिकरण की सम्पत्ति से अनाधिकृत कब्जे हटाने एवं अवैध निर्माण कार्यो पर अंकुश लगाने हेतु प्राधिकरण में पुलिस चौकी की स्थापना।

प्रस्ताव मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक के दौरान निम्न निर्देश भी दिये गये :–

क0सं0	जारी निर्देश	कार्यवाही
1.	2.	3.
1.	अध्यक्ष महोदय द्वारा महा नगर में यातायात की समस्या पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा निर्देश दिये गये कि शहर की ट्रेफिक समस्या को दूर करने के लिये एक टाईम–बाउंड स्टेडी कराई जाये ताकि यातायात व्यवस्था सुधारी जा सके।	नगर–निगम एवम् मेरठ विकास प्राधिकरण
2.	एन0सी0आर0 में मेरठ–दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे की सर्वे की स्थिति से अवगत कराया जाये।	मुख्य नगर नियोजक, एम0डी0ए0
3.	मैट्रो ट्रेन नोयडा तथा गाजियाबाद तक स्वीकृत हो चुकी है उसको मेरठ तक लाये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावे। दिल्ली मेरठ के मध्य EMU ट्रेन	मुख्य नगर नियोजक, एम0डी0ए0

11/3/06

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

	चलाने पर भी विचार हो सकता है जो दिल्ली–मेरठ के बीच दिन में तीन–चार चक्कर लगा सके। चूकि मेरठ एन0सी0आर0 योजना के अन्तर्गत आता है। इसके लिये सरकारी संस्था "साईट" से सर्वे करा लिया जाये कि मेरठ के लिये मैट्रो रेल, मौनो रेल अथवा रुकाई रेल में से कौन सी ठीक रहेगी। ताकि दिल्ली–मेरठ का सफर 40–45 मिनट में किया जा सके। यह कार्य बी0ओ0टी0 अथवा पी.पी.पी. के आधार पर कराये जाने पर विचार किया जाये।	
4.	अध्यक्ष महोदय द्वारा मेरठ रिंग रोड के बारे में जानकारी चाही गई जिसमें सचिव, एम0डी0ए0 द्वारा अवगत कराया गया कि रिंग रोड हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव ए0डी0एम0–एल0ए0/शासन को भेजा गया है परन्तु प्रस्ताव पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि चूकि महानगर की यातायाद व्यवस्था के लिए रिंग रोड अत्याधिक महत्वपूर्ण है अतः एक अ0शा0 पत्र प्रमुख सचिव को भेजा जाये।	प्रभारी अधिकारी, भूमि–अर्जन, एम0डी0ए0 एवं अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति, मेरठ।
5.	मेरठ शहर में चौराहो का सौन्दर्यकरण भी कराया जाये।	उपाध्यक्ष, एम0डी0ए0
6.	मेरठ महायोजना–2021 के आधार पर शहर में सीवरेज, पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति यातायात एवं जल निकासी हेतु अलग–2 योजनाये बनाई जाये।	नगर–निगम एवम् मेरठ विकास प्राधिकरण
7.	मेरठ में सी0एन0जी0 एवं पी0एन0जी0 हेतु स्टेडी कराई जाये। इसके बाद निजी निवेशकर्ताओं को आमन्त्रित किया जाये।	मुख्य नगर नियोजक, एम0डी0ए0
8.	महायोजना के अन्तर्गत जिन अनाधिकृत कालोनियों का निर्माण किया जा रहा है उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा इससे बोर्ड को भी अवगत कराया जाये।	सचिव, एम0डी0ए0
9.	अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि त्रैमासिक बोर्ड बैठक अवश्य की जाये तथा त्रैमासिक भौतिक वित्तीय प्रगति से अवगत कराया जाये।	सचिव, एम0डी0ए0
10.	सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक लाईटे (सोलर लाईटे), बस शैल्टर की व्यवस्था की जाये तथा रोड–डिवाईडरो को सुधारा जाये।	उपाध्यक्ष, एम0डी0ए0

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

1/7/06
सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

11.	शहर में वृहद वृक्षारोपण किया जाये।	एम0डी0ए0
12.	चौराहो एवं टायलेटो का सौन्दर्यकरण कराया जाये तथा ओवर हैड साइनेज लगवाएं जाये।	एम0डी0ए0
13.	बैठक में मौहिद्दीनपुर एवं अन्य इलाको में अवैध कालोनियों एवं अवैध निर्माणो की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की गयी एवं इसके लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।	सचिव, एम0डी0ए0

अध्यक्ष एवं अन्य मा0 सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(देवदत्त)
अध्यक्ष
मे0 वि0 प्रा0, मेरठ।

(यू0एन0ठाकुर)
उपाध्यक्ष
मे0 वि0 प्रा0, मेरठ।

(सतीश कुमार)
सचिव
मे0 वि0 प्रा0, मेरठ।